उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2
संख्या-1910/सैंतीस-2-2006-33(5)/84
लखनऊ :: दिनांक-17 मई, 2006

कार्यालय ज्ञाप

शासन एवं तत्पश्चात् निदेशालय पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ स्तर से लगातार आप लोगों को समय-समय पर निर्देश दिये जा रहे हैं कि विभाग हेतु औषधियों, रसायनों, वैक्सीनों, उपकरणों तथा अन्य सामग्रियों का क्रय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं, नियमावलियों तथा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/अन्य क्रय से संबंधित अधिकारियों द्वारा इन नियमों का अनुपालन पूर्णतया न कर मनमाने ढंग से क्रय की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है। यही नहीं क्रय के उपरान्त आपूर्ति की गई औषधियों तथा उपकरणों आदि की गुणवत्ता भी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित नही की जा रही है। ड्रग सैम्पलिंग का कार्य तथा उपकरणों के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अनुरूपता एवं गुणवत्ता का परीक्षण भी नियमित रूप से नही कराया जा रहा है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन तथा निदेशालय, पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत क्रय से संबंधित समस्त शासनादेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें अन्यथा भविष्य में विचलन की दशा में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2- पूर्व में दिये गये निर्देशों अन्तर्गत निम्न विशेष निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायः-

(i) उपलब्ध बजट व्यवस्था के अन्तर्गत जनपदों में निदेशालय स्तर से निर्गत विशेषज्ञ समिति की कार्यवृत्त अनुसार चयनित एवं मात्राकृत औषधियों, रसायनों, उपकरणों, संयंत्रों एवं अन्य सामग्रियाँ उनकी निर्धारित मात्रा एवं स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही क्रय, केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर एवं अनुमोदित फर्मो से ही जनपद स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(ii) नियमानुसार केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर ही अनुमोदित मूल निर्माता फर्मो से ही क्रय किया जाय। उनके स्थान पर किसी अन्य फर्म से या किसी बिचौलिये (डिस्ट्रीब्यूटर/होल सेलर) आदि के मार्फत किसी भी प्रकार का क्रय न किया जाय। केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों/उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश/डी.जी.एस.एण्ड डी. के अनुमन्य दरों पर ही विशेषज्ञ समिति के निर्धारित मानक अनुसार क्रय अनुमन्य है अतएव उनका क्रय स्थानीय कोटेशन या स्थानीय टेण्डर पर कदापि नही किया जाना है।

(iii) औषधियों, रसायनों तथा उपकरणों का क्रय उपभोक्ता संघ के माध्यम से करना पूर्णतया वर्जित है अतएव इन सामग्रियों का क्रय उपभोक्ता संघ से कदापि न किया जाय।

(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अर्थात् दि0-01 अप्रैल को जनपद अन्तर्गत प्रत्येक संस्थाओं पर उपलब्ध स्टाक की स्थिति आंकलित कर, विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मात्रा के समक्ष अवशेष सामग्रियों की मात्रा को घटाकर ही आवश्यक मात्रा में क्रय किया जाय। अनावश्यक रूप से आवश्यकता से अधिक सामग्रियों का क्रय कदापि न किया जाय।

(v) विशेषज्ञ समिति की कार्यवृत्त में अंकित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में मनमाने ढंग से विचलन न किया जाय।

(vi) क्रय की गई औषधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों के केन्द्रीय भण्डारण का सत्यापन पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार मुख्य पशुचिकित्साधिकारी तथा दो भिन्न पशुचिकित्साधिकारी (जिनका संबंध क्रय/भण्डारण से न हो) की समिति द्वारा नियमित रूप से की जाय तथा उसकी रिपोर्ट निदेशक, पशुपालन को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

(vii) क्रय की गई औषधियों एवं रसायनों की गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु उनकी रैण्डम सैम्पलिंग मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित समिति-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं औषधि निरीक्षक द्वारा नियमित रूप से कराया जाय तथा संतोषजनक गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पूर्ण भुगतान किया जाय अन्यथा अधोमानक की स्थिति में संबंधित फर्म की सिक्योरिटी की धनराशि जब्त करते हुए भुगतान भी न किया जाय। उक्त के संबंध में तत्काल निदेशालय को अवगत कराया जाय ताकि संबंधित फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

(viii) क्रय किये गये उपकरणों/संयंत्रों तथा साज-सज्जाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु, यदि क्रय उद्योग निदेशालय की दर सूची पर अथवा डी.जी.एस. एण्ड डी. की दर सूची पर किया गया हो तो उद्योग निदेशालय/डी.जी.एस. एण्ड डी. से इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् ही संबंधित फर्म का भुगतान किया जाय। यदि क्रय केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर सूची पर किया गया हो तो उसका परीक्षण संबंधित मण्डल के उप निदेशक अपनी अध्यक्षता में दो भिन्न पशुचिकित्साधिकारियों की समिति द्वारा विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप मिलाकर गुणवत्ता की पुष्टि की जायेगी। उचित गुणवत्ता का नही पाये जाने की दशा में संबंधित फर्म का भुगतान नही किया जायेगा तथा उसकी सिक्योरिटी की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी। तद्नुसार निदेशक, पशुपालन को भी तत्काल अवगत कराया जायेगा ताकि संबंधित फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन पूर्ण तत्परता एवं कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(एस.एस.यादव)
सचिव ।

पृ0संख्या-1910(1)/सैंतीस-2-2006- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश ।
3. परियोजना निदेशक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र भैंसोड़ा (नौगढ़), चन्दौली ।
4. परियोजना अधिकारी/संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़ (गाजियाबाद), निबलेट (बाराबंकी), चकगंजरिया (लखनऊ), मंझरा (लखीमपुर खीरी) तथा भदावरी भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), लखनऊ/समस्त प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश ।
6. सहायक निदेशक (नियो.), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
7. उप निदेशक (लघु पशु), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
8. संयुक्त निदेशक (रो.नि.)/(कुक्कुट), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
9. अपर निदेशक (बी.पी.संस्थान)/(गोधन विकास), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
10. वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(योगेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव ।